ÉnxÉÉBÉÉ 29 जुलाई, 2015 BÉÉÉ =kÉ® ÉnA VÉÉxÉ BÉE ÉãÉA

vFk0;oLFkk d fofHkUu {k=k d fy, fj;k;r

*97- Jh lhñ ihñ ukjk;.ku%

D;k okf.kT; vkj m|kx e=h ;g crku dh dik djx fd%

¼d½ D;k fiNy rhu o"kk d nkjku] dj] 'kYd e dVkrh vkfn d :i e m|kx vkj okf.kT; d fofHkUu {k=k dk dkb foÙkh; fj;k;r nh xb g] ;fn gk] rk ble dy fdruh /kujkf'k vrxLr Fkh(

¼[k½ bld dkj.k mRiknu] fu;kr] vkfn e fdruk l/kkj gvk g vkj vFk0;oLFkk e fdruh of) gb g(vkj

¼x½ D;k bu lo/kukRed mik;k d ckotn] fofuek.k vkj vU; {k=k e mRiknu e gky gh e dkb fxjkoV vkb g\

=kÉ®

Okkf.kT; ,o m|kx jkT; e=h ¼Lor= iHkkj½

¼ Jherh fueyk lhrkje.k½

(क), (ख) एवं (ग):- एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए रियायतों से संबंधित 29 जुलाई, 2015 को उत्तरार्थ राज्य सभा के तारांकित प्रश्न सं *97 के उत्तर के भाग (क), (ख) एवं (ग) में उल्लिखित विवरण।</u>

(क) वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, विकास और निवेश के पुनरूद्धार के जरिए घरेलू मूल्य वर्धन और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों को सीमा शुल्क/केंद्रीय उत्पाद शुल्क रियायतें दी जाती हैं। इन रियायतों में शामिल राशि मात्रात्मक नहीं है।

प्रत्यक्ष करों के संबंध में, देश में उद्योग एवं वाणिज्य के विभिन्न क्षेत्रों को आय-कर अधिनियम के अंतर्गत निवेश संबद्ध कटौतियों, लाभांश संबद्ध कटौतियों, त्वरित मूल्यह्रास, निवेश भत्ता, भारित कटौती आदि के रूप में कर प्रोत्साहन दिए गए हैं। वित्त वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान प्रत्यक्ष कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव (कार्पोरेट/फर्मे/एओपी/बीओआई करदाता) क्रमश: 74628.9 करोड़ रू, 62275.3 करोड़ रू और 67539.6 करोड़ रू (अनुमानित) है।

(ख) एवं (ग) सकल घरेलू उत्पाद में प्रदर्शित अर्थव्यवस्था के वृद्धि अनुमानों तथा उत्पादन अनुमानों के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) एवं भारत का निर्यात निष्पादन निम्न तालिका में दिया गया है:-

मद	2012-13	2013-14	2014-15
जीडीपी (प्रतिशत वृद्धि)	5.1	6.9	7.3
आईआईपी (प्रतिशत वृद्धि)	1.1	-0.1	2.8
निर्यात (प्रतिशत वृद्धि)	-1.82	4.66	-1.22

****